

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 44(3)परावि/प्रशिक्षण(बीएफसी-मिनिटस)/2015-17/232

जयपुर, दिनांक: 21/5/17

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 03/2017-18)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट निर्णायक समिति में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर, भरतपुर, अजमेर एवं कोटा के लिए नवीन आईटम संलग्न सारणी अनुसार राशि रु. 22.94 लाख (अक्षरे राशि रु बाईस लाख चौरानवे हजार मात्र) निम्नानुसार स्वीकृत किये गये हैं। जिनके क्रय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्नानुसार है :-

मांग सं. 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

003-प्रशिक्षण

(03)- प्रशिक्षण केन्द्र [01] पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र -प्रतिबद्ध

05- कार्यालय व्यय

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राशि लाख रु में (राज्य निधि)
1	बीकानेर,	8.82
2	भरतपुर	7.21
3	अजमेर	4.54
	कोटा	2.37
	कुल योग	22.94

यह स्वीकृति वित्त विभाग (बी.एफ.सी. 2017-18 के निर्णय) के अनुसरण में जारी की जा रही है। नवीन आईटमों का क्रय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त राशि आहरण संबंधित प्रयोजनार्थ ही किया जावे, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे। यह सक्षम स्तर अनुमोदित है।

संलग्न :- सारणी।

(आर.एस. मक्कड़)

अतिरिक्त आयुक्त

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक : एफ 44(3)परावि/प्रशिक्षण(बीएफसी-मिनिटस)/2015-17/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/भुगतान/रक्षित पत्रावली
6. प्रोगामर (मु0) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(मेघराज सिंह रतनू)

उपायुक्त (प्रशिक्षण) एवं पदेन
अतिरिक्त निदेशक(एस.बी.एम.)